कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक–..20...../दो–12–01/04 (फा.65) उज्जैन,दिनांक **13** जनवरी, 2025

प्रायः देखने में आ रहा है कि तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपनी समस्या लेकर तहसील न्यायालयों/अनुविभागों से अवकाश प्राप्त कर मिलने हेतु जिला मुख्यालय पर उपस्थित हो रहे है, इस कारण शासकीय कार्य अवरूद्ध हो रहा है तथा अनावश्यक समय बर्बाद होता है।

अतः जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालयों पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि उनकी जो भी समस्या हो वे लिखित में कार्यालय को पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित कराकर भेजे ताकि समस्या का निराकरण किया जा सके, अनावश्यक मुख्यालय पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के द्वारा समस्या के संबंध में मिलने पर शासकीय कार्य अवरूद्ध होता है, इस कारण कोई भी कर्मचारी मुख्यालय पर भविष्य में मिलने हेतु उपस्थित न हो, उक्त आदेश का पालन न किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Sd/-
(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)

13 JAN 2025

पृष्ठांकन क्रमांक–3390/ दो–12–01/04 (फा.65) उज्जैन, दिनांक **13** जनवरी, 2025

प्रतिलिपि –

समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)